यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

**कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** के माह 03.2012 से 07.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री मुन्ना राम, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 14.08.2018 से 18.08.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

**भाग-I**

**1). परिचयात्मकः** इस इकाई की आहरण वितरण अधिकार प्रदत्त किए जाने के उपरान्त प्रथम लेखापरीक्षा है। जिसमें माह 03/2012 से 07/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

**2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** इकाई द्वारा एनसीवीटी के अंतर्गत विभिन्न रोजगार परक व्यवसायों जैसे इलेक्ट्रिशियन, वायरमेन आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा प्रशिक्षु योजना के तहत विभिन्न अधिष्ठान के द्वारा कैंपस का आयोजन किया जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे गदरपुर क्षेत्र शामिल है।

**ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु लाख में)**

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | स्थापना | गैर- स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 1 | 2013-14 | 0.00 | 0.00 | 42.24 | 41.11 | 2.59 | 2.46 | - | 1.24 |
| 2 | 2014-15 | 0.00 | 0.00 | 39.73 | 39.39 | 9.46 | 8.98 | - | 0.69 |
| 3 | 2015-16 | 0.00 | 0.00 | 37.65 | 37.65 | 9.58 | 9.37 | - | 0.22 |
| 4 | 2016-17 | 0.00 | 0.00 | 45.13 | 34.07 | 7.11 | 5.97 | - | 12.20 |
| 5 | 2017-18 | 0.00 | 0.00 | 41.76 | 41.25 | 16.45 | 15.83 | - | 1.13 |
| 6 | 2018-19 | 0.00 | 0.00 | 45.16 | 12.31 | 11.22 | 0.00 | - | - |

**(ब)**. Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

**लागू नही**

**(स)**. केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

**(रु लाख में)**

| **वर्ष** | **योजना का नाम** | **प्रारम्भिक आवशेष** | **वर्ष के दौरान प्राप्ति(आवंटन )** | **विविध प्राप्तियाँ (ब्याज आदि )** | **कुल प्राप्ति** | **व्यय** | **आधिक्य (+)** | **बचत (-)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2016-17 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 2017-18 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| | | | | | | | | |

**iii).** इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). प्रधानाचार्य, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर

**iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 07.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015, 03/2016 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

**v).** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग-दो(ब)

**प्रस्तर:1- ₹ 52.21 लाख के निर्माण कार्यों में विनिर्धारित अधिप्राप्ति नियमावली के प्रावधानों का पालन न किया जाना।**

General Financial Rule 2005:

- Engagement of consultants may be resorted to in situations requiring high quality services for which the concerned Ministry/Department does not have **requisite expertise.** Approval of the competent authority should be obtained before engaging consultant (Rule 165)
- Where the estimated cost of the work or service is above Rs. 25 lakhs, an enquiry for seeking 'Expression of Interest' from consultant should be published in at least one national daily and the Ministry's website.(Rule 168(ii))
- The Ministry or Department shall open the financial bids of only those bidders who have been declared technically qualified by the consultancy evaluation committee.(Rule 175)
- The Ministry or Department should be involved throughout in the conduct of consultancy/contract and continuous monitor the performance of the contractor/consultant's.(Rule 177 & 185)

कार्यालय प्रधानाचार्य आईटीआई, गदरपुर मे पीपीपी मोड के अंतर्गत निष्पादित सिविल कार्य रु 97.92 लाख के सापेक्ष लेखापरीक्षा मे उपलब्ध पत्रावली रु 52.21 लाख की संवीक्षा की गयी तथा पाया गया कि संस्थान मे प्रशासनिक भवन तथा कार्यशाला निर्माण हेतु कांट्रैक्ट बॉन्ड संख्या 01 दिनांक 06.09.2013 के अनुसार ठेकेदार को रु 52.23 लाख का कार्य आबंटित किया गया। संबन्धित संस्थान द्वारा सिविल कार्यो के निष्पादन मे गाइड लाइंस तथा वित्तीय नियमो का उल्लंघन किए जाने का प्रकरण पाया गया। जब शासकीय व्यवस्था मे कार्य हेतु अपेक्षित विशेषज्ञता न हो ऐसी दशा मे सक्षम प्राधिकारी/ भारत सरकार की अनुमति प्राप्त कर निजी कंसल्टेंट तथा आउटसोर्स सेवा से सिविल कार्य का निष्पादन पर विचार किया जा सकता है, जिसमे रु 25.00 लाख से ऊपर के कार्य के लिए व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र मे विज्ञापन देते हुये प्राप्त Bids का गठित कंसल्टेंसी मूल्यांकन समिति द्वारा परीक्षण कराकर तकनीकी स्वीकृति तथा कंसल्टेंस तथा ठेकेदारो के कार्यो का निरंतर मोनिट्रिंग करने का प्रविधान पाया गया। आगे पाया गया कि गाइड लाइंस के अनुसार कुल प्रविधानित राशि का 25% तक सिविल कार्यो पर व्यय किया

जाना अनुमन्य था परन्तु संस्थान मे गठित समिति ने शासकीय एजेंसी को प्राथमिकता न देकर प्राइवेट एजेंसी से कार्य कराने का निर्णय लिया जिसमे भारत सरकार से नियमतः पूर्व अनुमति प्राप्त नही की गयी। प्रस्तुत अभिलेखो मे कंसल्टेंट के आगणन का तकनीकी परीक्षण नियमानुसार न कराकर समिति के स्तर से निम्नतर दर को आधार बना कर स्वीकृत प्रदान कर दी गयी तथा निविदा, दिशानिर्देशन के विपरीत स्थानीय अखबार मे प्रकाशित की गयी। नियमसंगत प्राइवेट कंसल्टेंट तथा ठेकेदार का मोनिट्रिंग के लिए तैयार मैकेनिज्म के समर्थन मे लेखापरीक्षा मे अभिलेख अप्रस्तुत पाया गया तथा दिशानिर्देशन के विपरीत सिविल कार्य पर 25% की जगह 39% व्यय किया जाना पाया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि शासकीय एजेंसी से सीधे कार्य कराये जाने का कोई प्रावधान नही है। कोई भी शासकीय एजेंसी ड्राइंग, डिज़ाइन इत्यादि बनाकर देने को सहमत नही होती है इस कारण आईएमसी द्वारा एक आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट नियमानुसार हायर किया गया, जिसमे पीडबल्यूडी के स्वीकृत दरो के आधार पर एस्टिमेट तैयार करते हुये राष्ट्रीय समाचार पत्र मे विज्ञापन के माध्यम से ओपन टेंडर आमंत्रित किया गया। भारत सरकार द्वारा संशोधित दिशानिर्देशन के अनुसार सिविल कार्य हेतु प्रावधानित धनराशि रु 62.50 लाख को बढ़ाकर 01 करोड़ निर्धारित कर दिया गया है इस कारण सिविल कार्य आवश्यकता अनुसार प्रावधानित धनराशि 01 करोड़ के अंतर्गत निष्पादित कराया गया है।

उत्तर मान्य नहीं, शासकीय एजेसी से नियमतः बिना संभावना तलाश किए इकाई, की इस प्रकार की टिप्पणी कि शासकीय एजेसी से सीधे कार्य कराये जाने का कोई प्रावधान नही है, उक्त वर्णित वित्तीय नियमो के प्रति उदासीनता दर्शाता है जबकि समिति द्वारा नियमतः राष्ट्रीय समाचार पत्र मे विज्ञापन नही दिया गया, फलतः प्रतिस्पर्धा मे भाग लेने वाले समस्त ठेकेदार स्थानीय पाये गए। साथ ही प्राइवेट एजेंसी से कार्य करने के लिए पूर्व अनुमति भारत सरकार से नही ली गयी तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट एजंसी से कार्य निष्पादन मे आवश्यक नियम शर्तो का पालन नहीं किया गया तथा प्राइवेट एजेंसी से कार्य कराने के मामले मे तकनीकी स्वीकृति तथा मोनिट्रिंग की आवश्यक मैकेनिज्म का अभाव पाया गया। भारत सरकार के मानक की अनदेखी कर सिविल कार्य पर 14% अधिक व्यय कर दिया गया जिसकी स्वीकृति भारत सरकार से लेखापरीक्षा तिथि तक अप्राप्त पायी गयी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर:2- गाइड लाइंस के तहत योजना का क्रियान्वयन न होने के कारण रु 2.50 करोड़ ब्याज रहित ऋण के उद्देश्य की पूर्ति न होना।**

कार्यालय प्रधानाचार्य, आईटीआई, गदरपुर के अभिलेखों की जांच मेँ पाया गया कि उक्त आईटीआई के अंतर्गत संचालित केंद्र सरकार की पीपीपी मोड योजना के माध्यम  से उच्चीकरण के अंतर्गत गठित इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी (आईएमसी) को वित्तीय अधिकार प्रदत्त करते हुये आईटीआई, गदरपुर का चयन किया गया जिसे प्रयोजन को पूरा करने के लिए वर्ष 2009-10 मेँ रु 2.50 करोड़ ऋण अवमुक्त किया गया। गाइडलाइंस मेँ वर्णित तथ्यों से यह बातें प्रकाश मेँ आई कि पीपीपी मोड स्कीम उन आईटीआई के लिए थी, जो पूर्व में संचालित थे तथा योजना के तहत उच्चीकरण के माध्यम से पूर्व में चल रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण को स्थानीय मांग के अनुसार सुदृढ़ बनाकर रोजगारपरक बनाया जाना था। परंतु, आईटीआई, गदरपुर का चयन के समय संस्थान का अपना भवन मौजूद नहीं था तथा पीपीपी योजना के अंतर्गत भवन निर्मित पाया गया परन्तु लेखापरीक्षा तिथि तक संस्थान को भवन अहस्तांतरित था जिस कारण वर्ष 2015-16 एवं 2017-18 हेतु क्रमश: व्यवसाय वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन तथा फिटर को योजना के अंतर्गत उच्चीकृत किए जाने हेतु क्रय किए गए मशीन एवं टूल्स अक्रियाशील अवस्था मे पाये गए। योजना का मुख्य उद्देश्य कोर्स का अपग्रेडेशन करना था इस संबंध मे दिशानिर्देशन के अनुसार उच्चीकरण का कार्य निर्धारित अवधि मे नही किए जाने की स्थिति मे नियमानुसार समय वृद्धि हेतु भारत सरकार से अनुमति ली जानी थी जिसके सम्बंध में साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाया गया तथा आधारभूत संरचना के अभाव मे वर्तमान तक उच्चीकरण का कार्य लम्बित पाया गया तथा 8 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के बाद भी गठित समिति, योजना के संचालन मे सफल न हो सकी।

इस ओर इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि चूंकि आईटीआई गदरपुर के पास अपना भवन नही था एवं किराए के भवन मे आईटीआई संचालित थी जहां पर स्थान अभाव होने के कारण उच्चीकरण सम्भव नही था। शासनादेश संख्या 260/XLI-1/17, दिनांक 08.05.17 द्वारा राजकीय आईटीआई गदरपुर मे फिटर यूनिट-2 एवं वेल्डर यूनिट-2 शीघ्र संचालित करने हेतु पीपीपी योजना अंतर्गत निर्देश दिये गए। नाबार्ड का भवन भी आईटीआई हेतु बन कर तैयार हो गया है इस कारण आईएमसी द्वारा नियमुसार फिटर एवं वेल्डर की साज सज्जा क्रय किया गया है एवं वर्ष 2018 से एससीवीटी के अंतर्गत दोनों व्यवसाय संचालन किए जाने हेतु निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त करने हेतु एवं प्रवेश की अनुमति दिये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया, दिशानिर्देशों के अनुसार धन प्राप्ति  के अगले वित्तीय वर्ष से उच्चीकृत हेतु धनराशि प्रयुक्त करने की बात कही गयी थी जबकि वर्तमान तक आईएमसी के अंतर्गत कोई भी व्यवसाय संस्थान मे संचालित नही पाया गया तथा योजना उन आईटीआई के लिए थी जिसका पूर्व मे अपना भवन हो परन्तु विलम्ब की स्थिति मे दिशानिर्देश के अनुसार तथ्य को बिना भारत सरकार के संज्ञान मे लाये धनराशि को लम्बी अवधि तक मनमाने ढंग से अवरूद्ध रख कर प्रयोजन को प्रभावित किया गया एवं इकाई की योजना के प्रति उदासीनता बरतने के कारण लाभार्थी लाभ से वंचित रहे। धनराशि प्राप्त होने के बावजूद भवन निर्माण में तत्परता न होने के कारण 08 वर्ष की अवधि बीत गयी। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आईएमसी मीटिंग का भी समय निर्धारण निर्देशित किया जाना पाया गया, परंतु इकाई द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा था तथा 01 वर्ष से (पिछली बैठक अगस्त,17) समिति के कोई बैठक संबंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है ।

## <u>भाग-दो(ब)</u>

**प्रस्तर:-3- आईएमसी दिशानिर्देशों के विपरीत अनियोजित ढंग से सीडमनी की धनराशि आरक्षित रखकर प्रयोजन प्रभावित किये जाने का प्रकरण।**

The interest free loan received by the IMC is kept in a separate bank account. The loan amount may be used for providing additional civil work in the ITI, which shall not exceed 25% of the loan amount; for use as seed money which shall not exceed 50% of the total loan amount; for procurement of machinery and equipment and other activities Directly related to upgradation of training infrastructure in the ITI. any deviation from this pattern of use of funds has to be justified by the IMC and prior approval obtained from the NSC. The interest free loan is released to IMC is directly on the basis of an IDP. The IDP is submitted to SSC, which scrutinize it and forwarded to central government for release of fund.

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर के पीपीपी मोड द्वारा संचालित आईएमसी (Institute Management Committee) संबन्धित अभिलेखो की जांच के दौरान पाया गया कि पत्रांक DGET-35(1396)/Uttrakhand/2009-NIC, दिनांक 29.03.2010 द्वारा वर्ष 2019-10 मे धनराशि रु 2.50 करोड़ ब्याज रहित ऋण संस्थान को प्रदान किया गया था जिसका उदेश्य नए व्यवसायों का संचालन एवं संचालित व्यवसायों को उच्चीकृत (upgrade) करने में किया जाना था। लेखापरीक्षा मे विगत वर्षो के तुलन पत्र की समीक्षा मे पाया गया कि मार्च 2011 मे रु 246.97 लाख (ब्याज सहित), मार्च 2012 मे 253.46 लाख (ब्याज सहित), मार्च 2013 मे 268.23 लाख(ब्याज सहित), मार्च 2014 मे 261.95 लाख (ब्याज सहित), मार्च 2015 मे 279.62 लाख,(ब्याज सहित) मार्च 2016 मे 230.95 लाख(ब्याज सहित), मार्च 2017 मे रु 248.08 लाख (ब्याज सहित) तथा मार्च 2018 मे 263.94 लाख धनराशि का उपयोग सीडमनी के रूप मे किया गया। जबकि उक्त नियमो के परिपेक्ष्य मे सीडमनी (seed money) हेतु एसडीआर/ एफ़डी के रूप मे आरक्षित धनराशि (अधिकतम 50%, अर्थात 1.25 करोड़) को सीडमनी के रूप मे उपयोग किया जा सकता था जिससे आईटीआई के उच्चीकृत हेतु सुधरीकृत आय आईएमसी समिति को प्राप्त हो सके। लेखापरीक्षा जांच के दौरान पाया गया कि योजना हेतु आबंटित धनराशि मे से रु 2.45 करोड़ की धनराशि को एफ़डीआर के रूप मे दिशानिर्देशों के विपरीत मार्च 2010 मे जमा कर ब्याज अर्जित किया जाना पाया गया जबकि आईएमसी/एसएससी समिति द्वारा स्वीकृत आईडीपी (institutional Development Plan) के अनुसार धनराशि रु 50.00 लाख सीड मनी हेतु आरक्षित रखे जाना प्रावधानित था। साथ ही उक्त के संबंध मे दिशानिर्देशों के विपरीत भारत सरकार से बिना अनुमति प्राप्त किए धनराशि रु 2.45 करोड़ को सीडमनी हेतु आरक्षित रख कर, धनराशि रु 1.20 करोड़(रु 2.45 -1.25= 1.20 करोड़) का diversion किए जाने की अनुमति संबंधी साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए। जून 2018 की क्यूपीआर रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान तक संस्थान मे स्थापित व्यवसाय मे से मात्र दो व्यवसाय (इलेक्ट्रिशियन एवं फिटर) अगस्त 2017 मे उच्चीकृत किया गया एवं वर्तमान तक कोई भी नये व्यवसाय का संचालन आईएमसी समिति द्वारा ऋण अवमुक्त किए जाने के 7 वर्ष के बाद नही किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि समिति द्वारा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुये ब्याज रहित ऋण की धनराशि नये व्यवसायों के संचालन/ उच्चीकरण पर व्यय न कर बैंक खाते मे जमा कर योजना के उद्देश्यों को प्रभावित कर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जाना प्रदर्शित हुआ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया गया कि कार्य न होने के कारण आईएमसी द्वारा स्वीकृत लोन की धनराशि पूर्ण रूप से बैंक मे एफ़डी के रुप मे रखी गयी। जिससे आईएमसी ज्यादा से ज्यादा ब्याज अर्जित करते हुये अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके एवं समय पर लोन का रिपेमेंट कर सके।

इकाई का उत्तर मान्य नही है क्योंकि ऋण की धनराशि उच्चीकृत हेतु व्यय न कर दिशानिर्देशों के विपरीत सीडमनी के रूप मे धनराशि का अवरोधन कर बैंक खातो मे ब्याज अर्जित कर योजना का मूल उद्देश्य प्रभावित किया गया।

**अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।**

**<u>भाग- दो(ब)</u>**

**प्रस्तर:-04- धनराशि ₹ 9.78 लाख के व्यय में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाना।**

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियम 2008 के नियम 6(1) के अनुसार संबन्धित प्रशासनिक विभाग अथवा केंद्रीय क्रय संगठन (डीएसएसएनडी) द्वारा अधिप्राप्ति के लिए सामग्रीवार पात्र एवं सक्षम आपूर्तिकर्ताओ की सूचिया तैयार कर रखी जाएगी। संबन्धित विभाग इन सूचियो का आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे। इस प्रकार के अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को 'पंजीकृत आपूर्तिकर्ता' कहा जाएगा तथा इस प्रकार के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता ही सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से सामाग्री की अधिप्राप्ति हेतु प्रथम दृष्टया पात्र होंगे। नियम संख्या 12(3) के अनुसार सीमित निविदा प्रक्रिया हेतु यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए की प्रतिस्पर्धा के आधार पर अधिक अनुक्रियाशील अधिकतम अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित किया जाए। ऐसे आपूर्तिकर्ताओ को चिन्हित करने के लिए विज्ञापन, व्यापक परिचालन वाले प्रकाशनों, राष्ट्रीय समाचार पत्रो और संबन्धित आपूर्तिकर्ताओं के विभिन्न वेबसाइटों का उपयोग किया जा सकता है।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाजपुर के मशीन एवं उपकरणो संबन्धित क्रय पत्रावली की जांच मे पाया गया कि पीपीपी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 मे धनराशि रु 9.78 लाख के मशीनों एवं उपकरणो का क्रय सीमित निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया। धनराशि रु 9.78 लाख के उपकरणो को भविष्य की प्रत्याशा मे व्यवसाय फिटर एवं वेल्डर हेतु क्रय किया गया जबकि संबन्धित मशीनों एवं उपकरणो हेतु भवन/कक्ष/ कार्यशाला की उपलब्धता सुनिश्चित नही थी, (संबन्धित भवन वर्तमान मे 75% complete है तथा निर्माणधीन अवस्था मे पाया गया) संबन्धित मशीनों एवं टूल्स व्यवसाय अक्रियशील होने के कारण एवं निदेशालय स्तर से व्यवसाय संचालन हेतु संबद्धता प्रदान नही किए जाने के कारण अक्रियाशील पाये गए। आगे जांच मे पाया गया कि विगत वर्षों मे भी आईएमसी समिति द्वारा व्यवसाय वेल्डर एवं इलेक्ट्रिशियन के उपकरण एवं टूल्स निरंतर क्रय किये गये जबकि वर्तमान तक किसी भी व्यवसाय का उच्चीकरण एवं संचालन आईएमसी समिति द्वारा नही किया गया। मशीनों एवं उपकरणों के installation/ demonstration/ physical/technical verification किए जाने संबन्धित साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए जबकि नियमतः धनराशि रु 9.78 लाख का भुगतान उपरोक्त प्रक्रिया के उपरान्त किए जाना था।

आगे जांच मे पाया गया उक्त मशीनों एवं उपकरणो के क्रय किए जाने से संबन्धित गठित समिति मे कोई वित्त विशेषज्ञ व्यक्ति शामिल नही किया गया तथा उक्त सामग्रियों का क्रय किए जाने हेतु अलग अलग फेर्मों का अलग अलग संगठन से कराये गए पंजीकरण के आधार पर विभिन्न फ़र्म से निविदाओ को आमंत्रित कर न्यूनतम निविदा के आधार पर सामग्रियों का क्रय किया गया जबकि उक्त नियमो के परिपेक्ष्य मे निविदा हेतु विभाग द्वारा अनुमोदित पंजीकृत आपूर्तिकर्ता (केंद्रीय क्रय संगठन अथवा विभाग द्वारा चिन्हित) को आमंत्रित कर प्रतिस्पर्धा के आधार पर न्यूनतम निविदादाता का चयन किया जाना था, न कि डीजीएसएनडी/विभाग से चिन्हित न किए गए पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओ के बीच प्रतिस्पर्धा कर निविदाए प्रदान करनी थी।

गाइड लाइंस के अनुसार अधिप्राप्ति हेतु वरिष्ठ फेकल्टी सदस्य को शामिल किए जाने के प्रावधान था जिसे आईएमसी द्वारा नामित किया जाना था।

मशीन एवं टूल्स के क्रय संबन्धित अभिलेखो मे (तुलनात्मक विवरण) हस्ताक्षरित सदस्यो की जांच मे पाया गया कि इकाई मे सीनियर फेकल्टी मेम्बर विधमान होने के बावजूद बाहर से सदस्य को शामिल किया गया जबकि समिति की बैठको मे सीनियर फेकल्टी मेम्बर की उपस्थिति सुनिश्चित करायी गयी परन्तु क्रय के प्रकरण मे बिना समिति के नामांकित किए बाहर से सीनियर फेकल्टी मेम्बर को शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि आईएमसी द्वारा प्रदत्त भारत सरकार द्वारा प्रदत्त फिनेंशियल एवं प्रोक्यूरमेंट के अनुसार पैरा 2 के III के अनुसार सीमित निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवश्यक साज सज्जा का क्रय किया गया है एवं संस्थान मे उपलब्ध सीनियर फेक्लटी के हस्ताक्षर तुलनात्मक विवरण एवं टेंडर पर कराये गए लेकिन आवश्यकतानुसार कुछ तकनीकी दक्ष लोग, नोडल संस्थान से भी आवश्यकतानुरुप शामिल किए जाते रहे है तथा भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देशों मे क्रय समिति मे वित्त विभाग के किसी सदस्य के नामित किए जाने का कोई प्रावधान नही है। आईएमसी काउंसिल द्वारा भवन की उपलब्धता को देखते हुये फिटर एवं वेल्डर व्यवसाय की साज सज्जा का क्रय किया गया है एव इन संयत्रों को भवन मे स्थापित करते हुये आगामी प्रवेश वर्ष 2018 से संचालित किए जाने हेतु निदेशक महोदय से स्वीकृति प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

उत्तर मान्य नही है, क्योकि गाइड लाइन मे संस्थान को मात्र क्रय प्रणाली अपनाए जाने संबन्धित दिशानिर्देश का उल्लेख है, चूँकि सीमित निविदा के तहत अनुबंधित दर पर मशीन एवं टूल्स का क्रय किए जाने के प्रकरण है जो वित्तीय नियम (उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम 6(1) तथा सामान्य वित्तीय नियमावली ) के अनुसार डीएसएसएनडी से अनुमोदित आपूर्तिकर्ताओ को पंजीकृत आपूर्तिकर्ता कहा जायेगा, से निविदा आमंत्रित न कर, भिन्न भिन्न स्थानो से भिन्न भिन्न फ़र्म द्वारा प्राप्त पंजीकरण के आधार पर निविदादाता को अवसर प्रदान किया गया जो वित्तीय नियमावली का उल्लंघन था। साथ ही तकनीकी अनुभव प्राप्त वरिष्ठ फेकल्टी सदस्य अन्य संस्थान से शामिल किए गए जिसमे समिति की सहमति सम्बन्धी साक्ष्य लेखापरीक्षा मे अप्रस्तुत पाये गए। विगत वर्षो मे आईएमसी समिति द्वारा व्यवसायो के उच्चीकरण नही किए जाने के कारण पूर्व मे निर्धारित व्यवसायो के असंचालित होने के बावजूद संबन्धित धनराशि से अन्य व्यवसायो हेतु भवन अहस्तान्तरित होने के बावजूद भी धनराशि रु 9.78 लाख के टूल्स एवं मशीनों को क्रय कर अक्रियाशील किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

**भाग-III**

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः-**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या | भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या | STAN | TAN |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः**

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है। | | | | |

# भाग-IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.................................. शून्य .....................................

## भाग-V

## आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

**अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य**

2). **सतत् अनियमितताएः** शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

| **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|
| श्री जे॰ पी॰ ट्म्टा | प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ गदरपुर | लेखापरीक्षा अवधि से सितम्बर 2012 |
| श्री जसवंत सिंह जलाल | प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ गदरपुर | सितम्बर 2012 से नवंबर 2012 तक |
| श्री आर॰ आर॰ आर्या | प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ गदरपुर | नवंबर 2012 से जून 2016 तक |
| श्री पंकज कुमार | प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ गदरपुर | अगस्त 2016 से अगस्त 2017 तक |
| श्री अनिल कुमार त्रिपाठी | प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ गदरपुर | अगस्त 2017 से वर्तमान तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, राजकीय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान, गदरपुर** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.**